an>

title: Discussion on the motion for consideration of the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha (Discussion concluded and Bill Passed) .

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Home Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Sikh Gurdwaras Act, 1925, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON: Hon. Home Minister, do you want to speak?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 एक ऐसा एक्ट है, जिसका ज्यूरिस्डिक्शन पहले केवल पंजाब राज्य था, लेकिन पंजाब राज्य के डिवीजन के बाद, इस समय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी इसके अंतर्गत आता है। यद्यपि हरियाणा में स्थित गुरुद्वारों के लिए हरियाणा राज्य में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट, 2016 लागू किया है, परन्तु इस बारे में हरियाणा राज्य की लेजिस्लेटिव पावर्स से संबंधित मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

पंजाब रिआर्गनाइजेशन एक्ट, 1966 के बाद एसजीपीसी बोर्ड एक इंटरस्टेट कारपोरेशन बन जाती है और सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 को इंटरस्टेट कारपोरेशन एक्ट, 1957 की अनुसूची की कूम संख्या 45 पर दर्ज किया गया है। पंजाब रिआर्गनाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 72 के अंतर्गत संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार ने 8 अक्टूबर, 2003 को एक नोटिफिकेशन द्वारा सहजधारी सिखों को उक्त बोर्ड तथा सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 के तहत गठित की गयी समितियों में मताधिकार दिए जाने से संबंधित अपवादों को समाप्त कर दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए। फिर भी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपने 20 दिसम्बर, 2011 के निर्णय द्वारा उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और यह तय करना उपयुक्त तथा सक्षम लेजिस्लेचर पर छोड़ दिया गया कि उपर्युक्त एक्ट में उक्त आशय का संशोधन किया जाए या न किया जाए। अधिसूचना के द्वारा सहजधारी सिखों को मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित रखने संबंधी मामला इस समय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और मामले में अंतिम निर्णय आने में अधिक समय लग सकता है। यहां तक कि यदि उच्च न्यायालय का अधिसूचना को रद्द का आदेश परिपुष्ट भी हो जाए तो भी यह इस मामले पर विधान को प्रोमल्गेट करने से रोका नहीं जा सकेगा। वास्तविकता यह है कि स्वयं उच्च न्यायालय का निर्णय ऐसा ही कहता है। इसलिए केन्द्र सरकार की पंजाब रिआर्गनाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 72 के तहत संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सहजधारी सिखों को दिए गए मताधिकार से संबंधित अपवाद समाप्त करने के मकसद से यह विधेयक संसद के माध्यम से पहले के प्रभाव से अर्थात 8 अक्टूबर, 2003 से सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 की धारा 49 और धारा 92 के प्रॉविसोज में अमेंडमेंट करने के लिए पेश किया गया है।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Sikh Gurdwaras Act, 1925, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now, Shri Santokh Singh Chaudhary.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, just a minute, she wants to intervene.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : महोदय, यह एक ऐसा धार्मिक मामला है जो एक ऐसी छोटी कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है, which is one of the smallest communities, which is probably two per cent of the entire population of our country, but which played a huge role in the Freedom Struggle.

देश की आजादी की लड़ाई के समय में इस सिक्ख कौम के लोगों को फांसी दी गयी थी, जिनको काला पानी भेजा गया था। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी, उनमें 70-80 फीसदी सिक्ख थे। इस छोटी सी कम्युनिटी ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। देश के आजाद होने से पहले वर्ष 1920 में मुगलों और ब्रिटिशर्स ने हमारे सिक्ख गुरूद्वारे हैं, हमारे खालसा पंथ की सृजना, the Great Guru Gobind Singhji, our father, who made the Khalsa Panth had laid down certain tenets for the Khalsa and the Sikhs to follow.

Sir, from 1600, the time the Khalsa Panth came into formation, the Sikhs were fighting for...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, what is this? It is the term of our Member, now to speak.

HON. CHAIRPRESON: This is just an intervention.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Is she participating in the debate?

HON. CHAIRPERSON: No.

...(*Interruptions*)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: No, there is no debate. I am putting a request. I am not making a speech. I am just saying that this is a community, which has been walking on the lines as laid down by our fathers; and to keep following the lines, as laid down by our great Gurus...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Minister can intervene.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPRESON: I will call you to speak after her.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, in 1920, the Sikhs fought a valiant battle to free their religious Gurudwaras from the hands of the people,

the Mahants who the Britishers had put there. Thousands lost their lives; hundreds were sacrificed; and they fought such a battle that the British were forced to bend; and eventually in 1925, the Britishers passed an Act -- the Sikha Gurudwara Act -- giving the Sikhs the right to control their Gurudwaras and their religious affairs through a democratically elected body.

Sir, in 1944, an effort was made to meddle with the Sikhs and to dilute the religious affairs of the Sikh body; and others were also given an opportunity to vote for this...(*Interruptions*)

Sir, after laying down thousands of lives, who had fought for the Sikh Gurdwara Act, the British had to bend to it; and Mahatma Gandhi said that this Sikh Gurdwara Act was a first battle of Independence which had been won. After that , the Sikhs laid down their lives to free this country...(*Interruptions*)

Sir, today, I request everybody in this House, as this is an issue, which affects nobody, that is only about the Sikhs voting for their Gurudwaras. It will not affect any other community; it will not affect any State. It is for the Sikhs to decide who should vote for their Gurudwaras and who should not. If anybody has an objection, I do not think, non-Sikhs are in a position that they should decide who is a Sikh and who is not. Our country gives us the liberty to practise our Sikhism. Our great Guru Gobind Singhji, our father, said:

'खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में हू करो निवास'

Anybody who wants to vote, is most welcome to follow the tenets and the things laid down by the Great Guru Gobind Singhji, and they are most welcome to vote. But I do not see people, who do not even follow what the great Guru Gobind Singhhi had laid down, should decide and comment on what has been decided by our Guru. If anyone has a right to decide, it is my community; it is us Sikhs and not anybody else; and I think, it is highly shameful that when we do not interfere in any other community as to whether you are a Hindu or whether you are a Christian or whether you are a Muslim, why should anybody else comment on whether we are Sikhs are not? So, my humble appeal to this House is that please do not play politics in this.

This is about the emotions of a community. I appeal to all Sikhs present in this House that let us not make a mockery of ourselves by getting others to comment on who is a Sikh and who is not. If we have issues, we will decide; and we have a democratically elected body, who can decide that. Please go there and discuss it. But let us not let everybody decide over here as to who is a Sikh and who is not, and play politics on these norms laid down by our great Guru Gobind Singhji, who had said:

'सब सिक्खन को हुकुम है गुरू मान्यो ग्रंथ'

So, anybody who believes in the Guru Granth Sahib, must follow what the Guru has said to follow about Sikhism; and if you follow that, you are most welcome into Sikhism. But to stand here and decide that who should and who should not, I appeal humbly to everybody, let us not make a mockery of this. Like it was passed unanimously in the Rajya Sabha, please bear with us and support it so that we can run our religion the way we want, without your interfering and telling us how to run it.

Thank you, so much.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, we support it.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : सभापति महोदय, यह मुद्दा बड़ा गंभीर है, प्रिचुअल है और रिलिजियस भी है और जैसा ऑनरेबल मैडम ने बात कही, इन्होंने सिखों की परिभाषा कर दी है...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : आपने कहा कि मैंने सिखों की परिभाषा कर दी है, आप बतायें कि मैंने सिखों की परिभाषा कैसे की है...(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: Let me speak please. यह पार्लियामैन्ट ऑफ इंडिया है, इसमें यह बिल आया है तो जितने भी मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट यहां बैठे हैं, उन्हें आप कह रही हैं, Anybody cannot decide. ये एनीबॉडी हैं।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या आप डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे बड़ा सिख है और कौन नहीं है। आप इसका फैसला करने वाले कौन होते हैं। पहले आप खुद सिख बनिये, फिर मैं आपको बताती हूं...(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: यह मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट इलैक्ट होकर आए हैं।...(व्यवधान) प्लीज, आप पेशेंस रखिये, आप मेरी बात तो सुनिये। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak, please.

श्री संतोख सिंह चौधरी: सभापति महोदय, नो डाउट पंजाब एक बहुत बड़ी स्टेट है और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। पंजाब का सिख इतिहास बहुत बड़ा है। मैं यह मानता हूं कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के जो सिख रूलर्स थे, पंजाब के जो सिख गुरू थे, उन्होंने एक भारी मैसेज सारे देश में दिया है। गुरू नानक देव जी सबसे पहले गुरू हुए और उन्होंने इस देश की धरती पर जितने भी लोग रहते थे, उन्हें मानवता के अधीन इकट्ठा भाईचारे में रहने का एक मैसेज दिया। उनके बाद नौ गुरू हुए और गुरू अर्जुनदेव जी, जिन्होंने गुरू ग्रंथ साहब की रचना की, उनके समय में हुआ, दरबार साहब उनके समय में हुआ। लेकिन जो शहादत थी, उनके शहादत देश में रहने वाले जो हिन्दू, ब्राह्मण और सब भाईचारे के लोग थे, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई और उस वक्त के जो मुगल रूलर्स थे, तब गुरू अर्जुनदेव जी की शहादत हुई, उन्हें गर्म तवे पर बैठाया गया, उन पर गर्म रेंड डाली गई और इस तरह से उन्हें टार्चर किया गया। उनके बाद और गुरू भी हुए और यह सिलसिला जारी रहा कि यहां जितने भी लोग हैं, उन सबका एक परमात्मा है और उनका जन्म एक है। उसके बाद गुरू गोविंद सिंह जी का जिक्र किया, जो हमारी इस धरती पर बहुत महान गुरू हुए, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ...(व्यवधान) आप बैठिये।

HON. CHAIRPERSON: Let him speak, please.

श्री संतोख सिंह चौधरी : आप सिख हो और आप गुरू गोविंद सिंह जी का नाम नहीं सुनना चाहते, आप अपने को सिख कहते हो, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान) आप सिख होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी का नाम नहीं सुनना चाहते, आप कौन से सिख हो। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak, please.

श्री संतोख सिंह चौधरी: मैं वही बात कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं हो।...(व्यवधान) गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की तो जब उन्होंने खालसा बनाया। उस वक्त गुरू जी ने आनंदपुर साहब में यह ऐलान किया कि मुझे बलि चाहिए। कौन सा भगत है जो अपनी बलि दे सकता है, तो पांच प्यारे उस वक्त सामने आए। पांच प्यारे जो सामने आए, उन्हें वह टैंट में ले गये और बाहर समझा गया कि उनकी बलि दे दी गई, क्योंकि जब वह एक को अंदर लेकर जाते थे और बाहर आते थे तो उनकी तलवार में खून लगा होता था। जो पांच प्यारे थे, उनमें से एक छिंबा था, एक नाई था, वे अलग-अलग समाज से थे और अलग-अलग जगहों से आए थे। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था - मानस की जात, सबे एक ही पहचान हो कि सब जो लोग हैं, बराबर हैं। जब अमीनाबाद में हिंदुओं को, ब्राह्मणों को और उस वक्त की लेडीज़ को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गुरु नानक देव जी उनके साथ गिरफ्तार हुए। उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि गुरु नानक देव जी ने अपने मुख से ये वचन किए कि हुरासान, खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पड़ी कुरलाने, तैं की दर्द न आया? यह उन्होंने किसके लिए कहा था? उस वक्त समाज के जो सब लोग थे, उनके लिए उन्होंने कहा था। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री संतोख सिंह चौधरी : महोदय, जो गुरूद्वारे हैं, जैसे मैडम ने कहा कि दसवें गुरु साहब ने कहा कि सब सिख्खन को हुक्म है कि गुरु मानयो ग्रंथ। ...(व्यवधान) सारे गुरुद्वारों में आज गुरुग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, यह तो आप मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहब का ध्यान आप रोज़ करते हो, रोज़ पाठ करते हैं, मैं भी करता हूँ, वे भी करते हैं। महोदय, गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें डिफरेंट समाज के जो भक्त थे, वे भक्ती मूवमेंट के भक्त थे, जो प्रिवुअल हैड्स थे, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरू रविदास हुए हैं, जो कि बहुत बड़े संत हैं, उनकी वाणी है, जिन्होंने एक ऐसे समाज की रचना की, बेगमपुरा शहर का नाम दुख अंधहो नहीं ठाँव-, ना तज़वीज़ सिराजन माल, खौफ, न खता, न तरस जमाल, कहै रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। यह गुरू रविदास जी की वाणी है। उन्होंने एक ऐसे समाज की उस वक्त रचना की थी कि सब लोग यहां बराबर हैं। हिंदू, सिख और मुस्लिम आदि सभी यहां बराबर हैं। चंदूमाजरा साहब, भक्त कबीर जी की सबसे ज्यादा वाणी है। भक्त कबीर जी ने कहा है कि - अव्वल, अल्लाह, नूर, उपाया कुदरत दे सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले, कौन मंदे। ये जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, उनकी वाणी गुरू ग्रंथ साहब में अंकित है। जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, उदाहरण के लिए मैं गुरू रविदास जी को मानता हूँ, वे भक्त कबीर जी को मानते हैं। सैन भक्त की वाणी है। भक्त रविदास चमार बिरादरी के थे। भक्त कबीर जुलाहा बिरादरी के थे। ये सब जो हमारे प्रिवुअल हैड्स हैं, वे गुरु ग्रंथ साहब में विराज़मान हैं। जब हम गुरुद्वारा में जाते हैं, तो गुरुद्वारा में हम सब उनको प्रणाम करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान हैं। जो आप परिभाषा बना रहे हो, माफ करना, जो सन् 2011 का सैंसस है, उसके मुताबिक उसमें 1.75 करोड़ सिख हैं, जो वोटर सन् 2011 में बनाए गए हैं, उसमें सिर्फ 55 लाख एनरोल हुए हैं। मान लिया जाए कि इनमें पचास लाख माइनर हैं तो जो बाकी 70 लाख लोग जिन्होंने सैंसस में अपने आपको सिख लिखाया है तो फिर आप उनका राइट क्यों छीन रहे हो? वे गुरुग्रंथ साहब को मान रहे हैं, वे गुरुग्रंथ साहब को मानते हैं, जो दस गुरू हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी प्रीविंग पर ही चलते हैं तो फिर जो 70 लाख जो लोग हैं, उसके अलावा जो दूसरे हैं, जो जुलाहा बिरादरी से हैं, जो रमदासिया बिरादरी से हैं, वे भी लाखों में हैं। इसका मतलब उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। यह कैसी बात है, यह कैसी विडम्बना है?...(व्यवधान) अभी पहले खड़गे साहब बोल रहे थे, जीरो ऑवर में इन्होंने बोला तो उस वक्त होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह मामला सब-जूडिस है, ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री संतोख सिंह चौधरी: मैं इसी की बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान) यह जो मामला है, यह भी तो सब जूडिस है।...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही, आपको मौका मिल रहा है।...(व्यवधान) मैं अपनी पार्टी की तरफ से इनीशिएट कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) आप इनीशिएट नहीं कर रही थीं।...(व्यवधान) होम मिनिस्टर जी ने इनीशिएट किया।...(व्यवधान) होम मिनिस्टर जी ने बिल रखा, उन्होंने इनीशिएट किया, वे बोले।...(व्यवधान) मैं अपनी पार्टी की तरफ से इनीशिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के टाइम पर बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)यह भी सब जूडिस है।...(व्यवधान) जो राज्य सभा में बिल लाया गया, वर्ष 2003 से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप उसे लाए।...(व्यवधान) वर्ष 2011 से एसजीपीसी, गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी का इलेक्शन नहीं हुआ।...(व्यवधान) मैं डेटाज दे रहा हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

श्री संतोख सिंह चौधरी: उसके बाद कोर्ट ने अरेंजमेंट किया हुआ है, इन्टेरिम अरेंजमेंट चल रहा है।...(व्यवधान) जब कोर्ट में पेन्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिंग है, मैटर सब जूडिस है तो फिर और मसलों में आप कहते हो कि मैटर सब जूडिस है, इसको यहाँ डिस्कस मत करो, इसको मत लाओ तो फिर आप इसको क्यों ला रहे हो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप बैठिए। आप उन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: दरबार साहब में आतंकवादियों को किसने बिठाया?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदय, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं।...(व्यवधान) वह दरबार साहब, जिसका सारी दुनिया सजदा करती है, वहाँ आतंकवादी कैसे पहुँचे?...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री संतोख सिंह चौधरी : उस दरबार साहब में घड़ा रखा गया, उस घड़े में पर्चियाँ डाली गई और पर्ची निकालकर मोटर साइकिल पर, स्टेनगन दी जाती थी और पंजाब में दहशतगर्द घूमते थे।...(व्यवधान) किसी टॉफी बेचने वाले को मारा।...(व्यवधान) किसी अखबार बेचने वाले को मारा।...(व्यवधान) कोई ब्राम्हण को मारता है।...(व्यवधान) हिन्दू को मारा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इस तरफ देखकर बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी : हिन्दुओं को मार रहे थे।...(व्यवधान) वह कौन लाया, उसे आप लाए।...(व्यवधान) बिट्टू जी मेरे साथ बैठे हैं।...(व्यवधान) इनके ग्रैन्ड फादर सरदार बेअन्त सिंह, मैं उनके साथ में था।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप अपनी सीट पर बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: हम सैकड़ों मजलिसों में रोज जाते थे।...(व्यवधान) जिन्हें आतंकवादी लोग मारते थे।...(व्यवधान) हम वहाँ जाते थे।...(व्यवधान) जो मारते थे, उनको आपके ससुर जी सरोपे देते थे, उनका सम्मान करते थे, आप बात करते हो।...(व्यवधान) ये सब चीजें आपने लाई हैं।...(व्यवधान) अब आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यह बिल ला रहे हो।...(व्यवधान) ताकि आपका गुरूद्वारों पर राज चले।...(व्यवधान) वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है, उस पैसे को आप अपने पॉलिटिकल एंड के लिए खर्चो।...(व्यवधान) आप इसलिए इसे लाना चाहते हो।...(व्यवधान) जो आप माइनोरिटी की बात करते हो, आप माइनोरिटी में एक सब-माइनोरिटी क्रिएट करना चाहते हो।...(व्यवधान) ये 70 लाख लोग हैं।...(व्यवधान) आप माइनोरिटी की बात करते हो।...(व्यवधान) आप एक माइनोरिटी शब्द उसमें क्रिएट करना चाहते हो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी।

श्री संतोख सिंह चौधरी : महोदय, एक मिनट।

माननीय सभापति : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदय, पंजाब में एक कहावत है।...(व्यवधान) फिर आप उठेंगे।...(व्यवधान) गुरूद्वारा साहब में एक बूढ़ी महिला प्रणाम करने गई। जब वह प्रणाम करने अन्दर जा रही थी, धूप बहुत थी, यह सुनने वाली बात है तो वहाँ से, हमारे जो बड़े माननीय, इनके ससुर साहब हैं, वे गुजरे।...(व्यवधान) उस बूढ़ी महिला ने अपनी जेब से 10 रूपए निकालकर उनके कदमों पर रख दिए।...(व्यवधान) उन्होंने कहा मेरे कदमों पर क्यों रख रहे हो।...(व्यवधान) उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अंदर चढाऊंगी, तो वे भी आपके जेब में जाएंगे।

माननीय सभापति : अब आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record. Shri A.P. Jithender Reddy will speak now.

...(*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, on the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill 2016, I would like to just say that ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, when he is speaking, he is initiating the Bill. जो बिल यहाँ होम मिनिस्टर ने पेश किया है, उस बिल पर वे बात कर रहे हैं। क्यों इंटरफियरैन्स हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनके लिए पाँच मिनट का समय था। आपके एक स्पीकर और हैं, उनको बोलने के लिए पाँच मिनट और देंगे।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is the first speaker. You are not allowing him to speak. Every time she is interfering.

HON. CHAIRPERSON: I have allowed him. He has already spoken. Shri A.P. Jithender Reddy will speak now.

...(*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको हक है, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : रेड्डी जी, आप बोलिये। मैडम, आप बैठिये। आप इंटरवीन कर चुकी हैं।

â€¦(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, we respect the Sikh community staying in Hyderabad for many years. Our Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao participated in the Guru Nanak Jayanti recently and has allotted a land for Gurudwara and sanctioned Rs 100 crore for the building also. I am impressed with the appeal made by Madam Minister and therefore I support the Bill wholeheartedly.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): At the outset, let me give unconditional support and surrender before our very honourble, young, firebrand Minister Shrimati Harsimrat Kaur Badal. The year 1925 was a historical year for India because the same year the Gurdwara Act was created, the Gurdwara Prabandhak Committee was born and so also two other very illustrious organizations. One was the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the other was the Indian Muslim League. All three catered to small sections of the Indian populace.

The Hindu majority in this country, maybe erroneously or maybe correctly, still believes that Sikhs are an integral part of this country, they are a brave race and they are primarily responsible for thwarting any kind of attacks from the marauders, from the foreigners coming in from Central Asia and many other parts of the world. They were the bulwark which protected the sanity, the security of the subcontinent called India. In your language, you may call Bharat, some may call Hindustan, and I call it India.

First, I must prove my personal, my State's and my party's *bona fides* in participating in this discussion. Why am I participating in this discussion? If you see, it doesn't involve us, maybe perfunctorily. We are outsiders; we have nothing to do with Punjab and their internal politics. But I am a great admirer of Harsimratji. She is a firebrand person. I requested my leader and he was kind enough to give me time. So, I thought that I

must participate. I must prove my State's *bona fides* first.

Guru Nanakji, one of the greatest saints of the Bhakti Movement that history has seen, was a great devotee of Lord Jagannath; not many people are aware of this. He had gone to Odisha and even today three places – Bhadrak, Cuttack and Puri – still have locations where locals go and pray. Those are places of worship because that is where Guru Nankji had stopped to rest on his way to the Lord Jagannath Temple. Interestingly, in Cuttack, there is a Gurudwara called Datan Sahib Gurudwara. It is in a place called Kalu Bedi, which is now called Kalia Buda; but Kalu Bedi was the name of the Guru's father. That is where the Guru had rested. There is an active and live Gurudwara right there now. So, we have the direct connections – spiritual and historical – with Guru Nanakji. As much as the Sikhs of today love him, admire him, and respect and pray to him, so also Odiyas have equal respect. In many Odiya homes, you will find pictures of Guru Nanakji; amongst Jangannath and other deities, they have the pictures of Guru Nanakji. They pray to Guru Nankji. So, legally, I think, we have a right to speak here and to support you. ...(*Interruptions*)

I would like to point out a few more things. It is also known that the first male child of every Hindu family used to become a Sikh. All of us personally feel that the fall of the Mughal and the Maratha Empires were primarily due to the fighting spirit and courage of the Sikhs, a part of whom were slightly misguided during the Khalistan movement. We must admire that it is the Akalis who actually brought back the few limited Sikhs who were misguided into the mainstream of Indian society and Indian life. I am not talking about 'SAD' because they might be 'SAD' now! But I am talking about the Akali movement. The Akali movement has made a great contribution to upkeep the unity and the sanctity of the Indian nation which can never be ignored.

Coming to present times, the hon. Chief Minister of Punjab Shri Parkash Singh Badal used to be a great friend of our late leader Shri Biju Patnaik and his blessings with the present Chief Minister Shri Navin Patnaik are still there. We consider that Shri Parkash Singh Badal is also somebody whom we can feel one with. Although Madam Harsimrat may not admit we are also a part of Shri Parkash Singh Badal's family. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Honestly, I will conclude in two minutes. You will be surprised.

We see a situation in this country that a mindset is formed which tries to take into account exclusivity. It is from a pained heart that I say that in a situation where we should be inclusive in our attitude we are trying to become exclusive. In the Hindu society, we are looking down on casteism as an exclusive formula by which we will get political benefits. So, these people had engineered such a situation in this country where they created smaller groups whereby these people thought they would benefit by way of votes. Fortunately, the Indian populace understood their evil games and has thrown them to the backyards of Indian politics.

The other cousins, who have come to power now, believe that exclusivity is their exclusive right and, therefore, they are creating more and more smaller groups and their admiration and love for minorities is known all over the globe. So, it is not something I have to tell you, Sir. You are a very learned person. So, their attitude of creating smaller groups is something that one should condone and one should forgive them for they do not know what great damage they are doing to this country. Thank you, Sir.

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट पर बहस हो रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, पार्लियामेंट में क्यों इस बार सिर्फ यही बिल आया और इसकी टाइमिंग क्या है? असल में क्या है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, गुरु गोबिन्द सिंह जी ने कहा था कि सब सिखन को हुकम है गुरु मानयो ग्रंथ, तो हम गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं, सजदा करते हैं, हर रोज अरदास करते हैं, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने धर्म और राजनीति को मिक्स करके कब्जा कर रखा है। ...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : उनकी हुजूरी में शराब पीकर कौन जाता है? ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: हरसिमरत जी बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। आप मिनिस्टर हैं। ...(व्यवधान) हमें भी बोलने दीजिए। हम भी चुनकर आए हैं। आप बैठ जाइए।

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्री भगवंत मान : इन्होंने धर्म पर कब्जा किया हुआ है। अब इनकी कुर्सियां खिसक रही हैं तो ये तड़प रहे हैं। इनको कहिए, वरना फिर मैं नहीं बोलूंगा। इनको बोलिए कि बैठ जाएं, जब इनका टाइम आए तो बोलें। ...(व्यवधान) हर बात पर खड़े होना ...(व्यवधान) आपने डिस्टर्ब करने का मन बना रखा है। आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : रूडी जी, आप मैडम को बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: आप क्यों बोल रही हैं? मैं भी चुनकर आया हूं। सबसे ज्यादा मतों से जीतकर आया हूं। आपके सुखदेव सिंह ढींढसा को हराया है। आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आप इन्हें बैठाइए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : गुरु साहब हुजूरी में शराब पीकर कौन जाता है? ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : इन्होंने ठेका ले रखा है धर्म का, गुरुद्वारों का। ...(व्यवधान) इन्हें बिठाइए। ...(व्यवधान) हरसिमरत कौर जी बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा। सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका टाइम जा रहा है।

श्री भगवंत मान: सच सुनना मुश्किल होता है। इनको बैठाइए।

HON. CHAIRPERSON : You are losing your own time.

श्री भगवंत मान : बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान) एसजीपीसी का मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी था, आजकल एसजीपीसी का मतलब शिरोमणि गोलक प्रबंधक कमेटी है।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I object to it. ...(*Interruptions*)

श्री भगवंत मान : जो चढ़ावा आता है, उसका राजनीतिक कारणों के लिए यूज किया जाता है। इनकी जेब में से जत्थेदार निकलते हैं, इनकी जेब में से अकाल तख्त साहब के फैसले निकलते हैं।

जिसको मर्जी माफ कर दो, जिसकी मर्जी माफी कैंसल कर दो। धर्म को इन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बिल के बारे में बोलिए।

श्री भगवंत मान : मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं। धर्म को मुट्ठी में लिया हुआ है। जब हम माथा टेकने जाते हैं तब कोई मना नहीं करता है। वोट नहीं कर सकते हैं हम।

माननीय सभापति : यह मैटर ऑफ स्टेट है, आप बिल के बारे में बोलिए।

श्री भगवंत मान : वोट क्यों नहीं कर सकते? तुम भी वोट नहीं कर सकते।

माननीय सभापति : यह मैटर स्टेट का है। आप बिल के बारे में बोलिए।

श्री भगवंत मान : धर्म को इन्होंने मुट्ठी में लिया हुआ है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं, जो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, जो हर रोज गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने जाते हैं, उन सबको हक होना चाहिए कि वह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चुनने में अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करे, अपने वोट का इस्तेमाल करे। चंद लोगों की झुंडली को हम धर्म की मान्यता नहीं दे सकते, सिख धर्म बहुत बड़ा है। इनसे इसे बचाना होगा। महन्तों से पहले गुरुद्वारे छुड़ाए थे, आज दूसरे जो महन्त आ गए, इनसे भी गुरुद्वारा साहब छुड़वाने पड़ेंगे। बहुत-बहुत मेहरबानी।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चेयरमैन साहब, माननीय गृहमंत्री जी ने जो सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल लाए हैं, मैं उसका भरपूर स्वागत करता हूं। मैं हाउस में दो-तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह सबको जानने की जरूरत है। ईमानदारी से जो लोग समझेंगे, मैं समझता हूं कि वे इसको ठीक समझेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जब यह एक्ट बना, हमारे भाई सदन से चले गए, वे कहने लगे कि वर्ष 1925 में उन्होंने और आर्गनाइजेशन की बात की।

यह एक्ट बहुत संघर्ष करके बना, खून डोल कर बना, कुर्बानियां करके बना, गोलियां खाकर बना। जिस दिन यह एक्ट बना, उस दिन महात्मा गांधी और नेहरू जी, देश के जो नेता थे उन्होंने अकालियों को चिट्ठी लिखी, अकालियों के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि आज तुमने देश की आजादी की पहल जंगी जीत ली है, तुम्हें बधाई हो। यह लेटर अकाली दल के प्रेसिडेंट को लिखा था।

सभापति महोदय, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वर्ष 1944 में जब अंग्रेज ने देखा कि यह बड़ा गलत काम हो गया। सिख समाज के लोग देश की आजादी के संग्राम में फोर फ्रंट पर आ गये। ये हमें देश में राज नही करने देंगे, उनके एस्पेरेशन सेंटर को तोड़ दिया जाये। उसमें घुसपैठ की जाये। हमारे गुरुद्वारे की एक मर्यादा है। यह सिस्टिज्म ऐसे नहीं बना है, यह भी सिर तेकर बना है और गुरु गोविंद सिंह जिनकी ये बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि सिख कौन है? "साबत सुरत दस्तार सजाये, वह मेरा सिख कहलाये।" ये साबत सुरत हैं। टर्बन बांधने से कोई सिख नहीं बनता है। पूरा साबत सुर्त होना चाहिए। यह परिभाषा गुरु साहिब ने दी है। ...(व्यवधान)

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 1944 में अंग्रेजों ने फिर शरारत की। उन्होंने घुसपैठ करके, हमारी शक्ति को घटाने के लिए, एक नयी क्लॉज सहजधारी की लाये और जिस दिन ये क्लॉज लेकर आये, उस दिन से वर्ष 2003 तक शिरोमणी अकाली दल लड़ाई लड़ता रहा। मुझे दुख है जो लोग सत्ता में बैठे थे इन लोगों ने होशियारी से, चतुराई से, धोखेबाजी से करके महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में अकालियों को बधाई दी, उनकी पार्टी के रहनुमा कहलाने वाले लोगों ने अंग्रेजों की शरारत पर मुहर लगा दी।

मैं माननीय वाजपेयी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वर्ष 2003 में एक नोटीफिकेशन जारी किया और उसके तहत हमें इंसाफ दिया। इन लोगों ने समाज के कुछ लोगों को उकसाकर कोर्ट भेज दिया और कोर्ट ने फैसला दे दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जैसा कि चौधरी जी कह रहे थे कि यह सबज्यूडिस मैटर है, यह सबज्यूडिस मैटर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग की है कि नोटीफिकेशन द्वारा अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, इसे लेजिस्लेचर के द्वारा लेकर आओ। इसी कारण आज भारत सरकार यह बिल लेकर आई है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। जहां तक सिस्टिज्म की बात है, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में चौधरी संतोख सिंह जी बहुत अच्छी बातें कहीं इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जहां कबीर जी की वाणी है, जहां गुरु रविदास जी की वाणी है, जिसमें गुरु नानक जी की वाणी है, जिसके लिए हम कहते हैं कि सब सिक्खन को हुक्म है गुरु मानओ ग्रंथ, ग्रंथ को हम गुरु मानते हैं उस गुरु को किसने गोलियां मारीं? गुरु साहब की हिक्क को किसने गोलियों का निशाना बनाया, इन्हीं लोगों ने निशाना बनाया। जो लोग सदा देश को बांटने की बात करते हैं, लोगों में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं, वे इससे सहमत नहीं होंगे। इस अमेंडमेंट से कोई बंटवारा नहीं होगा। जनता के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है, इसके लिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इस एक्ट के आने के बाद समाज में किसी तरह का बंटवारा नहीं होने वाला है। जो लोग असल में सिख हैं जो मर्यादा को मानते हैं, गुरुद्वारे की मर्यादा को मानने वाले ही गुरुद्वारे के प्रबंध का अधिकार रखते हैं।...(व्यवधान) जो पाखंडी लोग हैं, ये गुरुद्वारे का प्रबंध नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) ये गुरुद्वारे में जा कर नशा करते हैं और वहां से छित्तर खा कर आते हैं...(व्यवधान) तथा यहां आ कर लीडर बनते हैं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हमारा धर्म है, हमारी मर्यादा है, हमने बहुत संघर्ष करके गुरुद्वारा एक्ट बनाया है। आज भारत सरकार हमारी मांग को पूरा करने जा रही है और इन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है।

हरियाणा यूटी चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। जब इनकी हरियाणा प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने अपनी मनमर्जी से वहां एक नई कमेटी बना दी। ये एक ओर कहते हैं कि हम धर्म रक्षक हैं, दूसरी ओर... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

.....(Interruptions) *

माननीय सभापति : श्री चरणजीत सिंह रोड़ी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

* **SHRI CHARANJEET SINGH RORI (SIRSA) :** Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this important bill.

Hon'ble Minister has great regard for the feelings of Sikhs. This is the reason why he brought this bill in this august House. I and my party INLD whole-heartedly support this Bill.

Sir, Sikhs are present in all parts of India. They are present in large number of Haryana too. They have always been at the vanguard to protect the country. Sikhs are very kind and helpful by nature.

Sir, the previous Congress Government in Haryana under Shri Hooda tried to divide the Sikh brotherhood. He tried to set up a separate SGPC for the Sikhs of Haryana. It was a divisive policy. But the Sikhs of Haryana did not fall in this trap and SGPC remains united.

Sir, this bill seeks to unite and strenghten the Sikh brotherhood. It is a move in the right direction. All the Sikhs welcome this Bill. We should pass this bill unanimously.

Sir, the Sikhs have made many sacrifies for India. They had to bear a lot of atrocities. The wounds of 1984 and Anti-Sikh Riots are still fresh in our minds. The windows of 1984 are still awaiting justice. They must be provided justice. It has been a long wait of decades now.

In the end, I would like to reiterate my and my party's full support to this bill. Thank you.

-

(Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : वेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं। पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पार्लियामैंट में गिनती में बहुत कम संख्या में हैं। उसके बाद अगर एक-दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो हम जो सबसे बड़ी डैमोक्रेसी की बात करते हैं, इसका मतलब हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। एक-दूसरे की बात जरूर सुननी चाहिए। जिसकी मेजोरिटी है, फैसला उसके हक में होना है, लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरों की बात सुनने में कोई गलत नहीं है। हम पंजाब से हैं। सबसे पहले चौधरी साहब ने कहा, बाकी माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हमारी टोटल आबादी एक करोड़ 75 लाख है, पंजाब में जो सिख रहते हैं। उसमें से 55 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें एसजीपीसी की वोट डालने का हक है। 50 लाख लोग नाबालिग हैं। इसमें सिखों की बहुत बड़ी गिनती है। यह जो नया फैसला किया जा रहा है, इससे तकरीबन 70 लाख लोग वोट डाल ही नहीं सकते यानी बड़ा हिस्सा सिखों के गुरूद्वारे, उसकी साज-संभाल में उनका कोई दखल नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि यह बात कितनी सही है और कितनी गलत है। इससे 70 लाख लोग निकल जाएंगे और वे सिखों के गुरूद्वारे प्रबंधन में कोई भी देखरेख या कोई अपनी राय व बात नहीं रख सकेंगे। यह सिख गुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2016 है, चंदूमाजरा साहब ने कोर्ट की बात की, कोर्ट में दो अलग-अलग केस चल रहे हैं। इसमें उन्होंने नहीं कहा है। यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके पहले 2011 और 2016 का चुनाव अदालत के घेरे में है इसलिए अगर यह फैसला हम यहां करते हैं तो यह और भी गलत बात है। एसजीपीसी के 170 मेंबर थे वे अपना कार्य नहीं कर पाए हैं। अगर हम यहां बिल लाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे तो यह गैर-वाजिब होगा। हम सहजदारी सिख की बात कर रहे हैं वह गैर सिख नहीं हैं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यदि आप चाहते हैं कि उसे सिख माना जाए तो अमेंडमेंट करा दीजिए।

श्री रवनीत सिंह : सिख गुरूद्वारा एक्ट 1925 में सहजदारी सिख की परिभाषा पेज 46, सेक्शन 2 के 10(ए) में स्पष्ट है, जिसमें सहजदारी सिख की परिभाषा को स्पष्ट किया है। अगर पिछले 60 साल से सहजदारी सिख वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया जिससे हमें उनको रोकने की जरूरत पड़ गई। इसका जरूर जवाब देना चाहिए। जब वह 60 साल से वोट दे रहे हैं तो ऐसी क्या तकलीफ हो गई? पार्लियामेंट के चार सांसद सिखों का फैसला करेंगे? जो 60 साल से वोट डाल रहे हैं इसको किसने अधिकार दिया? बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है, इनको पंजाब में सपोर्ट है क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, इनके मंत्री हैं, क्या मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लेने के बिना देश पढ़े सपोर्ट कर रहे हैं। 70 लाख लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। यह बात केवल अकाली दल के ऊपर नहीं जाएगी। ...(व्यवधान) यह पंजाब में बहुत छोटी पार्टी है। बीजेपी जो देश की पार्टी है उसे इस पर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जो यह बिल ला रहे हैं उससे सिखों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा...(व्यवधान)।

HON. CHAIRPERSON: I am asking him to conclude now. Shri Ravneet Singh, please conclude now.

...(*Interruptions*)

श्री रवनीत सिंह : सेक्शन 45 के अनुसार जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वह केवल अमृतधारी सिख को ही है। अमृतधारी सिख चुनाव लड़ सकता है और वोट का अधिकार सहजदारी सिख को है। इसमें क्यों डरने और घबराने की जरूरत है। अगर कोई हिन्दू परिवार में पैदा हुआ है तो उसे हिन्दू कहते हैं, अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो मुस्लिम बोलेंगे और अगर कोई सिख परिवार में पैदा हुआ है तो उसे आप सिख बोलने से क्यों हटा रहे हैं? इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप हटा रहे हैं, अकाली दल हटा रहा है। आप कितना बड़ा डिवाइड कर रहे हैं कि उसका बाप वोट देगा लेकिन उसका बेटा वोट नहीं देगा। ...(व्यवधान) यह परिवारों को बांटने का षडयंत्र है। अकाली दल वाले परिवारों को बांट कर रख देंगे।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister will reply at the end.

श्री रवनीत सिंह : हरसिमरत कौर हमारी रिसपेक्टेड हैं, जिन्हें इस बिल को पास कराने की बहुत जल्दी है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि सिख गुरूद्वारा एक्ट 1925 में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सहजदारी सिख कोई गैर-सिख है या दूसरे धर्म के लोग हैं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।

HON. CHAIRPERSON: Shri Ravneet Singh, you have made your point on that. Please conclude now.

श्री रवनीत सिंह : इसे बदल कर बादल गुरूद्वारा एक्ट कर दीजिए। सिख गुरूद्वारा छोड़ दीजिए ...(व्यवधान)।

HON. CHAIRPERSON: Shri Ravneet Singh, please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय सभापति जी, यह सही कोट नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair. Please conclude in one minute.

...(*Interruptions*)

श्री रवनीत सिंह : इसमें केशधारी सिख की परिभाषा ही नहीं है। अगर इसमें केशधारी की परिभाषा है, तो बता दें। ...(व्यवधान) अगर मेरी दोनों बातें गलत साबित कर दें तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। यह मेरा चैलेंज है।...(व्यवधान)

अगर हम 1699 की बात करें, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ पांच प्यारों को अमृत छकाया था। वहां 80,000 सिख लोग बैठे थे, सिख संगत बैठी थी, उन्होंने किसी को गैर सिख नहीं कहा था। उन्होंने पांच लोगों को अमृत छकाने के बाद 80,000 लोगों को सिख बोला था।...(व्यवधान)

अब मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। मैं संसद को बताना चाहता हूं कि जो अमृत छक लेता है उसे खालसा कहते हैं और जिन्होंने नहीं छका उसे सिख ही कहते हैं। मैं इनको जरूर यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों में फर्क है। ...(व्यवधान)

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अमेंडमेंट को लाने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, एसजीपीसी का अकेले का बजट 1,000 करोड़ रुपए है। इनकी रैलियों में जो लंगर जाता है, इनकी

रैलियों में कुर्सियां, टैंट जाते हैं, जहां रैली होती है, एसजीपीसी को हुक्म आ जाता है और गुरुद्वारों से लाइनें लगकर लंगर शुरु हो जाता है। इनको इस चीज का फिक्र है।...(व्यवधान) लंगर तक लोगों का गोलक का पैसा जाता है। ये सब उस लंगर को रैलियों में खाते हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : डायरेक्ट दरबार साहिब पर गोलियां चलाते हैं।...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : सिख धर्म को तोड़ने की कोशिश है। यह बिल माइनोरिटी सिख रिलीजन को सब माइनोरिटी में डिवाइड कर देगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सिखों को बचाइए, पंजाब को बचाइए।

HON. CHAIRPERSON: Only Shrimati Meenakashi Lekhi's speech will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Chairman, Sir, I welcome this Act but I wish to support the enactment and the reason is a little historical background which I would like to give. It is pertinent to mention here that the hon. High Court in its judgement dated 20.12.2011 quashed the notification by holding back the said Gurudwara Act cannot be amended through Executive notification. The hon. High Court while quashing the said notification observed: "quashed leaving it for appropriate and competent Legislature to decide as to whether or not any amendment in Sections 45 and 92 or other provisions of Sikh Gurudwara Act, 1925 is to be carried out".

मेरा पहला सब्मिशन है कि इस एक्ट को लाया गया है, इस अमेंडमेंट को लाया गया है, इसके पीछे का कारण कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट के जजमेंट ने आदेश किया कि यह मामला नोटिफिकेशन द्वारा नहीं सुधार सकते हैं, आपको इस मामले को सुधारने के लिए एप्रोप्रिएट अथारिटी यानी संसद के बीच एक्ट को अमेंड करना होगा।

मैं अपने मित्रों की बात सुन रही थी, पहले तो कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, 1925 एक्ट कोट करते हैं, 1925 एक्ट बोलते हैं लेकिन जिसे साइट करते हैं वह 1944 एक्ट है। 1944 एक्ट में एक अंतर लाया गया है, इसे मैं पढ़कर बताती हूं, इस प्रोवीजन को प्रोवाइजो में कहा गया है -Provided relevant portion of Section 49 of Sikh Gurudwara Act is reproduced for ready reference provided that no person shall be registered as an elector who trims or shaves his beard or *kes* except in case of *Sehajdari* Sikh smokes, takes alcoholic drink. Section 92 provides - the Sikh Gurudwara Act says that provided that no person shall be registered as an elector who trims or shaves his beard or *kes* except in case of *Sehajdari* Sikh smokes, takes alcoholic drink.

अब इसमें जो समझने वाली बात है जिसके बारे में हमारे मित्रों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की है, उसमें यह सोचने की बात है कि गुरुद्वारा किस कार्य के लिए है और मैनेजमेंट किसके लिए है। गुरुद्वारे में आने-जाने के लिए किसी को मनाही नहीं है। जो गुरुद्वारे की मर्यादा को मानता है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभा सके। वोटर वही होना चाहिए जो मैनेजमेंट भी कर सके। मैनेजमेंट के चुनाव के लिए जो खड़ा हो सकता है, वही वोटर होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी धर्म की नींव रखी तब उन्होंने कहा कि पांच " क " सिक्ख धर्म के अनुयायियों को रखने पड़ेंगे जैसे कंघा, केश, कृपाण, कच्छैरा तथा कड़ा। गुरु जी ने कहा था कि खालसा मेरा रूप है। जो आदमी खालसे का रूप नहीं रख सकते हैं, वे गुरुद्वारों की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं।

So, I am supporting this particular enactment only on the basis of one particular statement that when Guru Gobind Singhji laid the foundation for Sikhism, he got people from every community and called it *panch pyaras* and then there were five conditions to be called as Sikhs. Now, people who may believe in Sikhism but do not possess the appearance of a Sikh and do not follow the basic tenets of Sikhism cannot be allowed as part of the management. ...(*Interruptions*)

Sir, I can go to the extent of mentioning that I have roots in Sikhism. But I cannot be part of the management. Why should I even choose to be part of the management? The only amendment which is sought to be brought now is, bring it back to 1925 Act and amend the 1944 enactment and on the basis of this, I support the amendment.

श्री राजनाथ सिंह : सभापति जी, सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के संशोधन के संबंध में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं सभी सदस्यों के विचारों को महत्वपूर्ण मानता हूं। श्री संतोष चौधरी, श्री जितेन्द्र जी, श्री सत्पथी, श्री भगवंत मान, श्री चंदूमाजरा, श्री चरणजीत सिंह रोड़ी, श्री रवनीत सिंह और श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक सिक्ख धर्म के इतिहास का प्रश्न है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है जो भी भारत के इतिहास को जानता है कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो सिक्ख धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। आज भी भारतीय संस्कृति की जिस तरह से सिक्ख कौम के लोगों ने रक्षा की है, उसी के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति का प्रचार, प्रसार दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है और आज भी भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी आस्था और विश्वास रखते हैं। जहां तक इस एक्ट का प्रश्न है इस एक्ट के बारे में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एसजीपीसी के आफिस बेयरर्स के द्वारा, एसजीपीसी के सदस्यों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि जब भी एसजीपीसी के चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय ऐसे लोग जो सिक्ख नहीं होते हैं, उन्हें भी मतदाता बना दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि मतदाता के रूप में वे भी अपना रोल अदा करें। केवल सिक्ख धर्म को मानने वालों के हाथों में एसजीपीसी का मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसे मतदाताओं की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। एसजीपीसी की जनरल असेम्बली ने वर्ष 2001 में अपने बैठक में एक संकल्प पारित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सहजधारियों को चुनाव से अलग करके केवल केशधारियों को ही मतदान का अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया था जिसका समर्थन पंजाब की सरकार ने उस समय किया था।

कुछ माननीय सदस्यों ने सहजधारी सिखों की संख्या और केशधारी सिखों की संख्या का प्रश्न भी यहाँ पर खड़ा किया है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन एक आंकड़ा, जो इस समय मेरे पास उपलब्ध है, उसे मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूँ। वर्ष 2004 में एसजीपीसी के चुनाव की तैयारी हो रही थी तो उस समय सहजधारी सिखों और केशधारी सिखों की जो गणना की गयी थी, उसमें केशधारी सिखों की संख्या 54 लाख से अधिक थी और सहजधारी सिखों की संख्या 7.96 लाख थी। यानी टोटल सिख पॉपुलेशन में सहजधारी सिखों का पर्सेंटेज उस समय 12.8 पर्सेंट था। भले ही यह मतदाता सूची उस समय क्यों न बनी हो, लेकिन वर्ष 2004 और वर्ष 2011 के चुनाव में सहजधारी सिख अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाये थे। ऐसी स्थिति में, बहुत ही सोच-विचारकर और मिनाक्षी लेखी जी ने जो बातें कही हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि कम्पिटेंट लेजिसलेचर चाहे तो इस संबंध में कोई भी निर्णय कर सकता है। इसीलिए सरकार को इस अमेंडमेंड बिल को लेकर सदन में आना पड़ा है और राज्य सभा ने तो इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। किसी भी पार्टी ने इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं समझी। सभी ने इसे सर्वसम्मपति से पारित किया है और मैं समझता हूँ कि इस सदन में भी सभी सम्मानित सदस्य इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करेंगे क्योंकि हर धर्म के मानने वाले लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने धर्म की व्यवस्था वे कैसे चलाने चाहते हैं, इस संबंध में वे स्वयं अंतिम फैसला करें।

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up motion for consideration of the Bill.

The question is:

"That the Bill further to amend the Sikh Gurdwaras Act, 1925, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Shri Ravneet Singh *ji*, would you like to move your amendment No. 1 to Clause 2?

SHRI RAVNEET SINGH: No, Sir, I am not moving.

HON. CHAIRPERSON: He is not pressing for his amendment.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ravneet Singh *ji*, would you like to move your amendment No. 2 to Clause 3?

SHRI RAVNEET SINGH : No, Sir, I am not moving.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI RAJNATH SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.